



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112022-240434  
CG-DL-E-19112022-240434

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 592]  
No. 592]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2022

फा. सं. 12015/05/2021-क्यूए.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 45 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में दिनांक 02 जुलाई, 2021 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या फाइल सं. 12015/05/2021-क्यूए में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्, -

सारणी में,

1. क्रम संख्या 166 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां संबंधित कॉलम में अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

क्र.सं.	खाद्य विश्लेषक और प्रयोगशाला का नाम
"167	श्री हृदय भरतभाई दरजी पशुधन एवं आहार विश्लेषण तथा अध्ययन केंद्र (काफ), राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीवी), आनंद, गुजरात"

2. क्रम संख्या 19 और 82 से संबंधित पंक्ति में प्रविष्टियां विलोपित मानी जाएंगी।

एस गोपालकृष्णन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./415/2022-23]

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में फाइल सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 02 जुलाई, 2021 द्वारा प्रकाशित हुई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित की गई थी-

1. फा.सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 30 नवम्बर, 2021;
2. फा.सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 15 फरवरी, 2022;
3. फा.सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 10 जून, 2022; और
4. फा.सं. 12015/05/2021-क्यूए, दिनांक 17 अगस्त, 2022।

## FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

### NOTIFICATION

New Delhi, the 18th November, 2022

**F. No. 12015/05/2021-QA.** – In exercise of the powers conferred under sub section 5 of section 10 read with section 45 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number F.No. 12015/05/2021-QA published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 2<sup>nd</sup> July, 2021, namely: -

#### In the table,

1. After serial number 166, the following entries shall be inserted in respective columns namely: -

S. No.	Name of the Food Analyst & Laboratory
“167	Mr. Hriday Bharatbhai Darji Centre for Analysis and Learning in Livestock & Food (CALF), National Dairy Development Board (NDDB), Anand, Gujarat”

2. At serial number 19 and 82 the respective entries of the row shall be omitted.

S GOPLAKRISHNAN, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./415/2022-23]

**Note :** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. 12015/05/2021-QA dated 2<sup>nd</sup> July 2021 and subsequently amended vide-

1. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 30<sup>th</sup> November 2021;
2. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 15<sup>th</sup> February 2022;
3. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 10<sup>th</sup> June 2022; and
4. F. No. 12015/05/2021-QA, dated 17<sup>th</sup> August 2022.